भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2581

उत्तर देने की तारीख: 16.12.2025

पीएम केयर्स के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना

2581. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): जी, हां। सरकार ने उन बच्चों, जिनके माता-पिता, जीवित माता या पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है, की सहायता के लिए देश भर में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लागू की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में "पीएम केयर्स चिल्ड्रन के लिए छात्रवृत्ति" नामक एक विशेष छात्रवृत्ति योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत 20,000/- रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस राशि में 1,000/- रुपये प्रति माह का मासिक वजीफा तथा स्कूल की फीस, किताबों, ड्रैस, जूते और

अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए 8,000/- का वार्षिक शैक्षणिक भत्ता शामिल है। यह हितलाभ कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के स्कूल जाने वाले पात्र बच्चों के लिए उपलब्ध है। छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से (आधार से जुडे) लाभार्थी के बैंक खाते में संवितरित की जाती है। यह योजना दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में समान रूप से लागू की गई है।

(घ): योजना शुरु किए जाने अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिन लाभार्थियों को छात्रवृत्ति संवितरित की गई है, उनकी वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति अंतरित की गई है
2022-23	3847
2023-24	3676
2024-25	3383
2025-26	2855

(ङ): पीएम केयर्स के अंतर्गत इस छात्रवृत्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा केवल उन लाभार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ रहे हैं।

*****